हिन्दुस्तान 02
पटना • सोमवार • 22 अक्टूबर 2018

राजद विधायक के 15 प्रोजेक्टों को नोटिस

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राजद विधायक सैयद अबू दोजाना पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अब रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रेरा ने दोजाना की रीयल एस्टेट कंपनी के 15 प्रोजेक्टों को नोटिस जारी किया है।

रेरा ने यह शिकंजा तब कसा जब कंपनी के एक निदेशक ने अपने रुकनपुरा, पटना स्थित नए प्रोजेक्ट के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। उनकी बैलेंस शीट में पुराने प्रोजेक्टों का ब्योरा था। राजद विधायक दोजाना की कंपनी मेरिडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड ने पटना और मुजफ्फरपुर के रिहायशी और व्यवसायिक प्रोजेक्ट बनाए हैं। कंपनी के एक निदेशक ने नए प्रोजेक्ट मेरिडियन एंक्लेव के पंजीकरण के लिए रेरा में आवेदन किया। बैलेंस शीट में पुराने 15 प्रोजेक्ट का नाम देखकर रेरा ने उन सभी प्रोजेक्ट का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इनमें से कई प्रोजेक्ट पहले ही पूरे होने की बात कही गई है। यह भी कहा गया है कि रेरा का नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने अपने पुराने प्रोजेक्टों को वेबसाइट से हटा दिया है। बिहार में रेरा मई 2017 से अस्तित्व में आया। उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट के विज्ञापन और उनकी बिक्री या अनुबंध से पूर्व रेरा में पंजीकरण जरूरी है। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा ने कहा है कि कंपनी के 15 प्रोजेक्ट अपंजीकृत हैं। वहीं ग्राहकों की ओर से कई शिकायतें भी कंपनी के खिलाफ मिलने की बात उन्होंने कही है। कंपनी में दोजाना के अलावा अबू मुर्तजा गजाली, अनु ताल्हा और मुसर्रफ अली भी डायरेक्टर हैं।

राजनीति से प्रेरित है कार्रवाई : दोजाना राजद विधायक सैयद अबू दोजाना ने पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि तमाम प्रोजेक्ट वर्ष 2000 से 2005 के बीच पूरे हो चुके हैं। रजिस्ट्री भी हो चुकी हैं। अब उन्हें लेकर नोटिस देना समझ से परे हैं। हम जवाब दे रहे हैं। इन हालात में अब हम बिहार में कोई काम नहीं करेंगे।

रेरा का शिकंजा

- अबू दोजाना की कंपनी ने पटना व मुजफ्फरपुर में बनाये थे प्रोजेक्ट
- नए प्रोजेक्ट के पंजीकरण के आवेदन में पुराने का ब्योरा